

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2024—फाल्गुन 25, शक 1945

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2024 ( फाल्गुन 25, 1945 )

क्र. 4449-मप्रविस-16-विधान-2024.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में संशोधनों के, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पत्रक भाग-दो, क्रमांक 27, दिनांक 15 मार्च, 2024 के प्रभावशील होने से मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 मार्च, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 5755-मप्रविस-15-विधान-2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 एतद्वारा निरस्त की जाती है. परंतु उक्त संशोधनों के अधीन की गई कोई कार्रवाई, उक्त नियमों के लिए, उक्त अवधि के लिए मान्य होगी.

उक्त संशोधनों के निरस्त होने के फलस्वरूप अब उक्त नियमों में आये शब्द, उक्त नियमावली में दिनांक 30 मार्च, 2022 के ठीक पूर्व की स्थिति अनुसार स्थापित किये गये माने जाएंगे.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.